

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
REVISED LIST OF BUSINESS

Monday, 23 November, 2015/ Margshirsha 02, 1937 (Saka)

2.00 P.M

- 1. Question Hour:** Starred Questions as shown in the separate list to be asked and replies given.
- 2. Special Mention(Rule-280):** The following Members to raise matters under Rule-280 with the permission of the Chair :-
 1. Sh. Somnath Bharti
 2. Ms. Bhavna Gaur
 3. Sh. Amanatullah Khan
 4. Ms. Alka Lamba
 5. Sh. Mahender Goel
 6. Sh. Praveen Kumar
 7. Sh. Jagdish Pradhan
 8. Sh. Gulab Singh
 9. Sh. Adarsh Shastri
 10. Smt. Parmila Tokas
- 3. Introduction, Consideration & Passing of Bills:**
 - I. Shri Satyender Jain, Minister of Home** to introduce "The Code of Criminal Procedure (Delhi Amendment) Bill, 2015 (Bill No. 14 of 2015)" with the leave of the House.
Also to move that the Bill be considered & passed.
 - II. Shri Manish Sisodia, Dy. Chief Minister** to introduce "The Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) (Amendment) Bill, 2015 (Bill No. 11 of 2015)" with the leave of the House.
Also to move that the Bill be considered & passed.

Delhi
23 November, 2015

Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
संशोधित कार्य सूची

सोमवार, 23 नवम्बर, 2015/ मार्गशीर्ष 02, 1937 (शक)
अपराहन 2.00 बजे

1. **प्रश्न काल** : संलग्न सूची में दर्शाये गये तारांकित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे ।
2. **विशेष उल्लेख (नियम-280)** : सदस्यों द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से विशेष उल्लेख के मामले उठाये जायेंगे :-
 1. श्री सोमनाथ भारती
 2. सुश्री भावना गौड़
 3. श्री अमानतुल्ला खान
 4. सुश्री अलका लाम्बा
 5. श्री महेन्द्र गोयल
 6. श्री प्रवीण कुमार
 7. श्री जगदीश प्रधान
 8. श्री गुलाब सिंह
 9. श्री आदर्श शास्त्री
 10. श्रीमती प्रमिला टोकस
3. **विधेयकों का पुरःस्थापन, विचार व पारित करना** :
 1. श्री सत्येन्द्र जैन, गृह मंत्री सदन की अनुमति से "दंड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 14)" को सदन में पुरःस्थापित करेंगे । यह भी प्रस्ताव करेंगे कि उक्त विधेयक पर विचार किया जाए तथा इसे पारित किया जाए ।
 2. श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री सदन की अनुमति से "दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 11)" को सदन में पुरःस्थापित करेंगे । यह भी प्रस्ताव करेंगे कि उक्त विधेयक पर विचार किया जाए तथा इसे पारित किया जाए ।

दिल्ली
23 नवम्बर, 2015

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव